

**विनियोग संख्या 63 - भारत का उच्चतम न्यायालय**  
**APPROPRIATION No. 63-SUPREME COURT OF INDIA**

	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
प्रभारित-	Charged-		
मूल	Original 88,02,00	100,69,00	99,13,41
पूरक	Supplementary 12,67,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		1,55,49

**टीका और टिप्पणियां****Notes and comments**

1. विनियोग में, कुल बचतें (155.59 लाख रु.) दिसंबर, 2009 और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 1267.00 लाख रु. के पूरक विनियोग का 12 प्रतिशत और कुल स्वीकृत विनियोग का 2 प्रतिशत थीं।

1. In the appropriation, the overall savings (Rs.155.59 lakhs) constituted 12 percent of the supplementary appropriation of Rs.1267.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 2 percent of the total sanctioned appropriation.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"		
न्याय प्रशासन	Administration of Justice		
मू.	O.	8802.00	9913.51
पू.	S.	1267.00	
पु.	R.	-155.49	

(I) "उच्चतम न्यायालय - स्थापना" के अंतर्गत 8802.00 लाख रु. के मूल विनियोग को 1267.00 लाख रु. का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाकर 10069.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पेशेवर सेवाओं के लिए बिल प्राप्त न होने, वेतन एवं भत्तों का बकाया बिलों और सीसीटीवी लगाए जाने में विलंब होने की वजह से निर्णीत हर्जाने की वसूली और अन्य सुरक्षा उपकरणों के कारण 155.59 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Supreme Court - Establishment" - the original appropriation of Rs.8802.00 lakhs was augmented to Rs.10069.00 lakhs by obtaining supplementary appropriation of Rs.1267.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.155.59 lakhs - due to non-receipt of bills for professional services, arrear bills of pay & allowances and recovery of liquidated damages owing to delay in installation of CCTV and other security equipments.